By-Email/Courier

पत्रांक–7/यो०–13/06 1718/

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति

प्रेषक,

प्रधान सचिव,
शिक्षा विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी
————————————
सभी जिला प्रभारी पदाधिकारी,
मध्याह्न भोजन योजना,
बिहार।

पटना, दिनांक 12/11/12

विषयः मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011–12 में स्वीकृत 3790 रसोई–सह–भंडारगृहों के निर्माण हेतु प्रति ईकाई ₹2,83,580/–(दो लाख तिरासी हजार पाँच सौ अस्सी रु०) की दर से आवंटनादेश।

प्रसंगः राज्यादेश संख्या सं०–म०भो०/को०–132/2012–42 दिनांक 05.10.2012

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में अंकित करना है कि वित्तीय वर्ष 2011–12 में स्वीकृत 3790 रसोई–सह–भंडारगृह हेतु प्रति इकाई नई स्वीकृत दर ₹2,83,580/–(दो लाख तिरासी हजार पाँच सौ अस्सी रु०) की दर से, जिलों द्वारा उपलब्ध कराये गये रसोई–सह–भंडारगृह विहीन विद्यालयों की सूची के अनुसार जिलावार राशि का उपावंटन निम्न प्रकार किया जाता हैः–

क्र.सं.	जिला का नाम	रसोईगृह –सह– भंडारगृह की सं०	प्रति ईकाई नई दर	स्वीकृत प्रति ईकाई की दर का 90 प्रतिशत	कुल राशि	क्र.सं	जिला का नाम	रसोईगृह –सह– भंडारगृह की सं०	प्रति ईकाई दर	स्वीकृत प्रति ईकाई की दर का 90 प्रतिशत	कुल राशि
								BF-1427			BF-367880600
1	पटना	156	283580	257800	40216800	20	प० चम्पारण	166	283580	257800	42794800
2	नालन्दा	3	283580	257800	773400	21	दरभंगा	151	283580	257800	38927800
3	भोजपुर	24	283580	257800	6187200	22	मधुबनी	118	283580	257800	30420400
4	बक्सर	40	283580	257800	10312000	23	समस्तीपुर	24	283580	257800	6187200
5	रोहतास	20	283580	257800	5156000	24	पूर्णियां	44	283580	257800	11343200
6	कैमूर	95	283580	257800	24491000	25	किशनगंज	97	283580	257800	25006600
7	गया	85	283580	257800	21913000	26	अररिया	49	283580	257800	12632200
8	जहानाबाद	20	283580	257800	5156000	27	कटिहार	84	283580	257800	21655200
9	अरवल	7	283580	257800	1804600	28	भागलपुर	181	283580	257800	46661800
10	नवादा	42	283580	257800	10827600	29	बांका	82	283580	257800	21139600
11	औरंगाबाद	42	283580	257800	10827600	30	मुंगेर	384	283580	257800	98995200
12	सारण	115	283580	257800	29647000	31	शेखपुरा	12	283580	257800	3093600
13	सिवान	65	283580	257800	16757000	32	लखीसराय	15	283580	257800	3867000
14	गोपालगंज	68	283580	257800	17530400	33	जमुई	152	283580	257800	39185600
15	मुजफ्फरपुर	204	283580	257800	52591200	34	खगड़िया	89	283580	257800	22944200
16	सीतामढ़ी	84	283580	257800	21655200	35	बेगूसराय	200	283580	257800	51560000
17	शिवहर	24	283580	257800	6187200	36	सहरसा	277	283580	257800	71410600
18	वैशाली	90	283580	257800	23202000	37	सुपौल	103	283580	257800	26553400
19	पूर्वी चम्पारण	243	283580	257800	62645400	38	मधेपुरा	135	283580	257800	34803000
	कुल	**1427**	**283580**	**257800**	**367880600**		**कुल**	**3790**	**283580**	**257800**	**977062000**

2. उक्त राशि मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय द्वारा बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति के जिला स्तरीय बैंक खाते में स्थानान्तरित की जाएगी। तत्पश्चात शीघ्र जिला प्रभारी पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना उक्त राशि को जिला शिक्षा पदाधिकारी को चेक के माध्यम से तीन दिनों के अन्दर उपलब्ध करायेगें।

3. जिला शिक्षा पदाधिकारी निम्नलिखित मार्ग निर्देशों (Guidelines) के आलोक में विद्यालयों में किचेन शेड का निर्माण सुनिश्चित करेगें:–

(i) इन रसोई–सह–भंडारगृह का निर्माण बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् द्वारा उपलब्ध कराये गये नक्शा, विस्तृत स्केच प्लान एवं DPR के अनुसार निर्माण किया जाना आवश्यक है। उनके द्वारा प्रस्तुत विस्तृत प्राक्कलन के आधार पर प्रति इकाई ₹2,57,800/–(दो लाख संतावन हजार आठ सौ रु०) (विस्तृत प्राक्कलन संलग्न) निर्धारित है। परन्तु वर्तमान वित्तीय वर्ष में दर वृद्धि के कारण यह प्रति इकाई ₹2,83,580/–(दो लाख तिरासी हजार पाँच सौ अस्सी रु०) हो गया है। संशोधित राशि के अनुसार स्थूल प्राक्कलन इस पत्र के साथ संलग्न है। अतः ₹2,57,800/–(दो लाख संतावन हजार आठ सौ रु०) के DPR को वर्तमान दर के अनुरूप Revised करते हुए प्रति इकाई ₹2,83,580/–(दो लाख तिरासी हजार पाँच सौ अस्सी रु०) तक वृद्धि करते हुए योजना का कार्यान्वयन किया जाए।

(ii) जिलावार विद्यालयों की आपसे प्राप्त सूची, पत्र के साथ संलग्न करते हुए निदेश दिया जाता है कि रसोई–सह–भंडारगृह का निर्माण बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् के अधिकृत इंजीनियरों के माध्यम से सूची में अंकित विद्यालयों में करें। यदि सूची में वर्णित किसी भी विद्यालय में किसी अन्य श्रोत से रसोई–सह–भंडारगृह का निर्माण किया जा चुका हो अथवा भूमि की अनुपलब्धता इत्यादि की समस्या हो, तो उस परिस्थिति में जिले में स्थित रसोई–सह–भंडार गृह विहीन अन्य राजकीय/राजकीयकृत विद्यालयों की पृथक सूची से जिला पदाधिकारी के अनुमोदनोपरांत निर्धारित भवन निर्माण कार्य सुनिश्चित करेंगे तथा इसकी विस्तृत सूचना अधोहस्ताक्षरी को देंगे। किसी भी परिस्थिति में राशि का विचलन स्वीकार्य नहीं होगा। राशि एवं प्राक्कलन प्राप्त करा देने की तिथि से 45 दिनों के भीतर विद्यालयों में निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किये जाने की स्थिति में वैसे विद्यालयों से राशि वापस कर जिला पदाधिकारी से अनुमोदित सूची के अन्य विद्यालयों को राशि उपलब्ध करा दिया जाय तथा इसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को दिया जाय।

(iii) रसोई–सह–भंडारगृह के निर्माण का उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों से प्राप्त करने के पश्चात् जिला स्तर पर समेकनोपरान्त जिला शिक्षा पदाधिकारी तथा जिला प्रभारी पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना इसे संयुक्त हस्ताक्षर से मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय को भेजना सुनिश्चित करेंगे। समेकित उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ विद्यालयों द्वारा उपलब्ध कराया गया उपयोगिता प्रमाण पत्र भी संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।

(iv) यह आवंटनादेश निर्गत किये जाने की तिथि से 15 दिनों के भीतर राशि का हस्तांतरण चिह्नित विद्यालयों में Computer Generated Advice के आधार पर Electronic Transfer द्वारा किया जाना बाध्यकारी होगा। स्वीकृत राशि का 85 प्रतिशत तक प्रथम किस्त के रूप में एकमुश्त विमुक्त कर तुरंत निर्माण कार्य आरम्भ किया जाय और निरंतर अनुश्रवण करते हुए निर्माण एजेन्सी द्वारा प्रस्तुत एम०बी० के आधार पर शेष 15 प्रतिशत राशि एकमुश्त विमुक्त किया जाय।

(v) बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् अंतर्गत जिले में कार्यरत तकनीकी पदाधिकारियों एवं कार्यपालक अभियंता की देख–रेख में निर्माण कार्य हेतु SSA में T.S Commission पूर्व निर्धारित है। रसोई–सह–भंडार गृह के लिए इस राशि का प्रावधान प्राक्कलन में ही सन्निहित है।

(vi) चिह्नित विद्यालयों में रसोई–सह–भंडार गृह का निर्माण राशि प्राप्त होने के चार माह के अंदर पूर्ण कर लेना अनिवार्य है। निर्माण कार्य का मासिक प्रगति प्रतिवेदन नियमित रूप से प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक निदेशालय

को उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी संयुक्त रूप से सम्बन्धित जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी की होगी। इस हेतु एक विहित प्रपत्र निम्नवत् है :–

जिला मध्याह्न भोजन योजना समिति ....
रसोई–सह–भंडार गृह निर्माण प्रगति प्रतिवेदन

माह

क्रम सं०	प्रखंड का नाम	स्वीकृत रसोई–सह–भंडारगृह की सं०	राशि विमुक्त विद्यालयों की संख्या		पिलिंथ स्तर तक	लिंटर स्तर तक	छत स्तर तक	प्लास्टर/ रंगरोगन	प्राक्कलन के अनुसार पूर्ण निर्माण	अभिकथन
			प्रथम किस्त (85%)	द्वितीय किस्त (15%)						

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (म०भो०यो०) का हस्ताक्षर — जिला शिक्षा पदाधिकारी का हस्ताक्षर

(vii) जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं प्रभारी पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना संयुक्त रूप से जिला स्तर पर 29 नवम्बर 2012 को शिविर का आयोजन कर सभी संबंधित प्रधानाध्यापको के साथ एकरारनामा पूर्ण करेंगे और उन्हें Bank Advice स्केच प्लान एवं विस्तृत प्राक्लन की एक प्रति शिविर में ही हस्तगत करायेंगे। इस शिविर के आयोजन की पूर्व सूचना जिला पदाधिकारी को देते हुए उनसे शिविर की अध्यक्षता का अनुरोध करेंगे।

उक्त सभी निदेशों का अनुपालन दृढ़ता पूर्वक सुनिश्चित कराने की कृपा करेंगे।

विश्वासभाजन

प्रधान सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।
12/11/12